दैनिक पंचांग

श्रावण शुक्ल 15 शुक्रवार 28 अगस्त 2026, श्री संवत्-2083, शाके-1948, बंग-1433, सांपातिक भाद्रपद-06 शाके संवत्-1948, नेपाली-1142, सौर (बंग) भाद्रपद-11 हिजरी-रबी अल-अव्वल 14 तिथि पूर्णिमा दिन 10 बजकर 10 मिनटों तक। नक्षत्र शततारका रात 3 बजकर 29 मिनटों तक। योग-अतिगण्ड दिन 7 बजकर 46 मिनटों तक। करण-बव 11 घटी 18 पल। आनन्दादियोग-सौम्य रात 3 बजकर 29 मिनटों तक। चंद्र कुंभ पूर्ण मिनटों तक। दिनमान-31 घटी 35 पल।
-पं. नरहरि जनार्दन शास्त्री खुण्टे

महिला ने रास्ते के विवाद में फंदा लगाकर दी जान

मृतका के स्वजन ने आवागमन के लिए मार्ग की मांग करते हुए रोक दिया था अंतिम संस्कार

अहरक गांव का मामला

- 24 घंटे बाद उठा शव, एसडीएम ने कहा कि पड़ोसी ने अपनी जमीन में खड़ी की है दीवार
- आखिरी बार बीते 22 जुलाई को जिलाधिकारी की जनसुनवाई में फरियाद की गई थी मामले में

जागरण संवाददाता, बड़ागांव : अहरक गांव की कविता उपाध्याय ने घर का रास्ता बंद करने के विवाद से परेशान होकर मकान के सामने शौचालय में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद स्वजन रास्ता विवाद का निबटारा होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ गए। यह सुनकर पुलिस प्रशासन को पसीना आ गया। एसडीएम के समझाने के बाद स्वजन 24 घंटे बाद शव उठाने के लिए तैयार हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कविता उपाध्याय। • सौ : स्वजन

स्वजन के अनुसार कविता बुधवार सुबह से ही घर से लापता थी। परिवार के लोगों ने सोचा कि वह गांव में कहीं गई होंगी, लौट आएंगी। बाद में उनकी खोज शुरू हुई, लेकिन कहीं पता नहीं चला।

दीवार को देखते एसडीएम पिंडरा कुंदन राज कपूर • जागरण

दिन में 12 बजे जब शौचालय का दरवाजा खोला गया तो कविता साड़ी के फंदे से लटकतीं मिलीं। मृतका के बेटे विशाल ने आरोप लगाया कि लगभग छह फीट नवीन परती भूमि के रास्ते पर पड़ोसी मनीष उपाध्याय और अमित उपाध्याय ने 2024 में दीवार खड़ी कर दी थी। इसके बाद रास्ते को बंद कर दिया था। डीएम कार्यालय में इसकी कई बार शिकायत की गई और एक वर्ष पूर्व धरना भी दिया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। आखिरी बार बीते 22 जुलाई को डीएम की जनसुनवाई में फरियाद की गई। इसमें 12 अगस्त को आख्या लगाकर निस्तारित कर दिया गया। महिला की मौत पर एसडीएम, नायब तहसीलदार, एसीपी पिंडरा, कानूनगो, लेखपाल मौके पर पहुंच गए।

सभी ने विपक्षी से पंचायत भवन में अकेले बात करनी चाही तो मृतका के स्वजन का एसडीएम से नोकझोंक भी हुई। वहीं पत्नी की मौत की सूचना पर दिल्ली की निजी कंपनी में कार्यरत उनके पति संतोष उपाध्याय घर लौटे। उन्होंने बताया कि पहले मकान के दक्षिण दिशा स्थित आबादी के रास्ते में था। जिसे कुछ लोगों ने दीवार खड़ी कर बंद कर दिया। बाद में मकान के पश्चिम दिशा स्थित नवीन परती के रास्ते से आवाजाही शुरू की तो पड़ोसी ने 2024 में वहां भी दीवार खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया। संतोष ने बताया कि उनके चार भाई हैं। उनके परिवार के लिए आने-जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह बहू को प्रसव के लिए मायके भेज देते हैं। रास्ता न होने से तीनों बेटियों की शादी अन्यत्र से करनी पड़ी। परिवार दो फीट चौड़े वैकल्पिक रास्ते से आवाजाही कर रहा है।

> जमीन के दो विवाद हैं, जिसमें एक मृतका का परिवार दीवानी कोर्ट से केस हार चुका है। वर्तमान विवादित रास्ते का मामला तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें मृतका की जेठानी रजवंती शामिल हैं। मनीष और अमित जिस भूमि पर दीवार खड़ी की है, वह उनकी निजी भूमि है। उसके आगे जिस नवीन परती की बात की जा रही है, उस पर एक व्यक्ति ने कुछ निर्माण किया है। उसे हटाने के बाद भी आगे रास्ता मनीष व अमित की जमीन से ही आगे बढ़ेगा। इस बात की पहले ही पैमाइश कर जानकारी दी जा चुकी है।
>
> -कुंदनराज कपूर, एसडीएम पिंडरा।

संबंधित खबर के लिए स्कैन करें क्यूआर कोड

चार दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं उप निर्वाचन आयुक्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरू चार दिवसीय वाराणसी प्रवास पर 28 अगस्त को आएंगे। प्रोटोकाल के अनुसार उप निर्वाचन आयुक्त शाम को साढ़े सात बजे के करीब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह वहां से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वह काशी में दर्शन-पूजन आदि कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

उसके बाद 31 अगस्त को वापस दिल्ली चले जाएंगे। वह आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में उनकी तैयारियों आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

वाराणसी के रास्ते गुजरेंगी दूसरे रूट की 13 रेलगाड़ियां

जासं, वाराणसी : गोरखपुर कैंट और उनौला स्टेशनों के बीच प्रस्तावित विकास कार्य के चलते ब्लाक लिया जा रहा है। इसके चलते इस रूट की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 13 गाड़ियों को अलग तिथियों में वाराणसी जंक्शन और बनारस होकर चलाया जाएगा। सीपीआरओ ने बताया कि एक और दो सितंबर को अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस रोजा-लखनऊ जं.-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी जं.-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। एक सितंबर को अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी जं.-वाराणसी सिटी-मऊ-भटनी होकर जाएगी। बताया कि दो और तीन सितंबर को जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस भटनी-मऊ-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। दो सितंबर को हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। एक सितंबर को काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी जं.-वाराणसी सिटी-मऊ-भटनी के रास्ते जाएगी। इसके अलावा दो और तीन सितंबर को पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-लखनऊ-रोजा के रास्ते चलाई जाएगी। तीन सितंबर को ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर जाएगी। एक और दो सितंबर को कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-जौनपुर जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। तीन सितंबर को दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी। दो सितंबर को चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ जं.-सुलतानपुर-वाराणसी जं.-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं, एक और दो सितंबर को खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस बाराबंकी-अयोध्या कैंट-शाहगंज-मऊ-भटनी-सीवान-थावे-कप्तानगंज होकर जाएगी। तीन सितंबर को बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी छपरा-औड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

बदले समय से चलेगी बेगमपुरा एक्स.

जासं, वाराणसी : कैंट स्टेशन से बनकर चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस और वाराणसी - बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस की समय सारिणी में संशोधन किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता के अनुसार गाड़ी संख्या - 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस एक नवंबर से निर्धारित समय दोपहर 12.40 के बजाय 15 मिनट पहले 12.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या - 14214 वाराणसी - बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

दालमंडी में कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी स्थित एक मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर सरकारी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने कहा कि तीनों अधिकारियों के हलफनामों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसने की। एक अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के समय मौके पर मौजूद रहने की बात स्वीकार की है, जबकि अन्य अधिकारी कार्रवाई की जिम्मेदारी से इन्कार कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले जावेद आलम को तीनों हलफनामों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 22 सितंबर, 2026 को निर्धारित की है।

याची ने अवमानना याचिका दायर की है। आरोप है कि हाई कोर्ट के सात मई के आदेश के बावजूद 11 जून को उसके मकान को गिरा दिया गया। कोर्ट के आदेश में नगर निगम को नई समिति गठित कर मकान का निरीक्षण करने और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रक्रिया पूरी होने तक मकान और संबंधित दुकान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

मेटा अलर्ट से सक्रिय हुई पुलिस, बचाई युवक की जान

- युवती से रिश्ता टूटने से आहत होकर इंस्टाग्राम पर जान देने का किया था पोस्ट
- इंस्टाग्राम के जरिए मोबाइल नंबर हासिल कर जगतगंज में युवक के घर पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी: इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या का पोस्ट मिलते ही गुरुवार को सक्रिय हुई चेतगंज पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया। युवक को थाने पर लाकर काउंसलिंग की गई फिर उसे परिजन को सिपुर्द कर दिया गया। इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मेटा अलर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय के जरिए गुरुवार तड़के पांच बजे मुझे सूचना दी गई कि जगतगंज निवासी हर्ष वर्मा ने इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने से आहत होकर आत्महत्या के निर्णय की सूचना पोस्ट की है। पुलिस टीम ने सर्विलांस शाखा की मदद से उस मोबाइल नंबर को हासिल कर लिया, जिससे इंस्टाग्राम चलाया जा रहा था। मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस जगतगंज स्थित हर्ष वर्मा के घर पहुंच उसे सकुशल बरामद कर लिया। हर्ष के सकुशल मिलने पर परिजन ने राहत की सांस ली और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। हर्ष कुछ दिनों पूर्व तक एक होटल में रिसेप्शन पर कार्य करता था। पुलिस टीम में दारोगा संदीप सिंह, भरत पांडेय, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह व कांस्टेबल पुनीत कुमार रहे।

वीडियो प्रसारित करने में आप नेता गिरफ्तार

जासं, वाराणसी : आदमपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पंचायत कोनिया जोन आदमपुर के एक विद्यालय से संबंधित कथित झूठा वीडियो बीते 21 अगस्त को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करने के मामले में दर्ज केस में पुलिस गुरुवार को आम आदमी पार्टी नेता मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से देर शाम उन्हें जमानत मिल गई। एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी किया। विद्यालय बंद होने का झूठा आरोप लगाया गया था, जबकि स्कूल बंद नहीं था। बीते तीन जुलाई को प्राथमिक विद्यालय पंचायत कोनिया के जर्जर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। बच्चों की सुरक्षा के लिए बीईओ के आदेश पर विद्यालय को बीते 19 जुलाई को कोनिया सट्टी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया।

तीन आरोपित दोषमुक्त : विधि, वाराणसी : गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सुशील कुमार खरवार की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। इसमें नाराणपुर, लंका निवासी मुन्नू तिवारी, त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध निवासी महेश पुरोहित और हड्हा सराय, चौक निवासी सानू उर्फ नाजिम शामिल हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda — विक्रय सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु अनुर्गत – IV-A [नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें]

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा : प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन, पी.डी.आर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी 221010 (उ0प्र0) ई–मेल : sarvar@bankofbaroda.com वेबसाइट : www.bankofbaroda.bank.in, मोबाइल न0 9554959534

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी/जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ''जो है जहाँ है'', ''जो है जैसे है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर ई–नीलामी/ बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता/कानूनी वारिस/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है –

नीलामी की तिथि 30.09.2026, समय दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 29.09.2026 या उसके पहले किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता/कानूनी वारिसों / प्रोपराइटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया धनराशि	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
1.	ऋणकर्ता : मेसर्स संचित इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर : श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री श्याम देव पता : होटल सम्राट, फेज 2, एस.ए. 15/93–आर–डी, आयकर आवासीय परिसर, मवैया, सारनाथ, वाराणसी उ.प्र. 221007 प्रोपराइटर : श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री श्याम देव पता निवासी : एस.ए. 15/93–आर–डी.. 2, मवैया, वाराणसी उ.प्र. 221007	अचल सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड आराजी संख्या 185, क्षेत्रफल 2640 वर्ग फिट यानि 245.36 वर्ग मी., मौजा मवैया, वार्ड सारनाथ, परगना शिवपुर, तहसील सदर एस.आर.ओ. वाराणसी, जिला वाराणसी में स्थित है जो कि श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री श्याम देव के नाम है। चौहद्दी (बिक्री विलेख के अनुसार): पूरब – विक्रेता की भूमि, पश्चिम – विनोद सिंह की भूमि, उत्तर – बदरुन्निशा की भूमि, दक्षिण – कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा।	रू. 76,42,829.99/- – ब्याज दिनांक 12.07.2025 से + अन्य खर्च (मॉग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	रू. 1,34,80,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 13,48,000/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	दिनांक 29.09.2026 समय दोपहर 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
2.	ऋणकर्ता : (1) मेसर्स साई आर्शीवाद ट्रेडिंग प्रोपराइटर : श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह पता : खसरा नं. 389, ग्राम महेवा, पोस्ट नियमताबाद, चन्दौली उ.प्र. 232101 (2) श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह पता : प्लॉट नं. 56, भिट्टी, मच्छरहट्टा, रामनगर, वाराणसी, उ.प्र. 221008 जमानतकर्ता : श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री लाल मोहन सिंह पता : प्लॉट नं. 56, भिट्टी, मच्छरहट्टा, रामनगर, वाराणसी, उ.प्र. 221008	अचल सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड आराजी संख्या 56, क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग फीट यानि 113.84 वर्ग मी., मौजा भिट्टी, परगना रामनगर, तहसील सदर, जिला वाराणसी मे स्थित है जो कि श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह के नाम है। चौहद्दी (बिक्री विलेख के अनुसार): पूरब – लालचन्द यादव की भूमि एव कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा, पश्चिम – पोखरी बदरी, उत्तर – विक्रेता का मकान, दक्षिण – अनुपा देवी एवं दीपक मिश्रा की भूमि।	रू. 44,77,759.61/- – ब्याज दिनांक 30.06.2026 से + अन्य खर्च (मॉग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	रू. 54,92,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 5,49,200/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	दिनांक 29.09.2026 समय दोपहर 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें – www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं. 9554959534, इंमेल : sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क कर सकते है।

दिनांकित : 24.08.2026 | स्थान : वाराणसी | ह0 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India — विक्रय सूचना (अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु)

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय- मऊ, प्रथम तल, ख्वाजाजहाँपुर, ओवर ब्रिज के पास बलिया मोड़, मऊ, उ0प्र0- 275101 दूरभाष: 0547-2970142, ई-मेल: crd.romau@unionbankofindia.bank.in

परिशिष्ट - IV- क [नियम 8(6) का परन्तुक दखें]

प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो को प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियो के विक्रय हेतु ई-निलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी/ ऋणीयो लेने वाले और प्रत्याभूति दाताओ को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों जो प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जो है जहां है, "जो है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर ऋणी/ऋणीयों और जमानतदार/जमानतदारों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) के बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 29.09.2026 को निम्न विवरणों के साथ विक्रय किया जायेगा। निम्नलिखित सम्पत्ति/सम्पत्तियां नये ब्याज एवं नये खर्चे की वसूली हेतु ऑनलाइन बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेबसाईट: https://baanknet.com पर विक्रय किया जायेगा।

धरोहर धनराशि EMD जमा करने की अन्तिम तिथि : बोली शुरू होने से पहले

क्र0 सं0	ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार का नाम व पता एवं शाखा	बंधककर्ता के अचल संपत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी राशि	ई- नीलामी की तिथि एवं समय
1.	शाखा: मझवारा, पता- घोषी रोड, मझवारा, मऊ (उ0प्र0) (1) मेसर्स न्यू दीप मोटर्स प्रोपराइटर- श्री विजय कुमार शर्मा, पता- वरपुर, बघेल भवन, एनएच 24, परगना और तहसील- मऊ नाथ भंजन, जिला- मऊ (उ0प्र0) (स्वामित्व फर्म) (2) श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा, पता- ग्राम- लोहा टिकर, पोस्ट- पालीघर, परगना और तहसील- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ (उ0प्र0)- 275307 कार्यालय पता: श्री विजय कुमार शर्मा (मेसर्स न्यू दीप मोटर्स), पता- वरपुर, बघेल भवन, एनएच 24, परगना और तहसील- मऊ नाथ भंजन, जिला- मऊ (उ0प्र0)- 275101 (प्रोपराइटर) (3) श्रीमती रानी देवी पुत्री श्री गौरी शंकर यादव पत्नी श्री चंद्र जीत यादव, पता: ग्राम और पोस्ट- गौरी, परगना और तहसील- सिकंदरपुर, जिला- बलिया (उ0प्र0)- 277303 संपत्ति का पता- श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री चंद्र जीत यादव, आराजी नम्बर 73, मौजा- सहरसपाली, होली क्रास स्कूल के पास परगना और तहसील - बलिया, जिला- बलिया (उ0प्र0) (जमानतदार/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्ति- सम्पत्ति का सभी भाग भूमि एवं भवन- विक्रय विलेख नं0 7218, बही नम्बर- 1, जिल्द नम्बर- 7492, पृष्ठ संख्या- 125 से 142, दिनांक 06.11.2018, सब-रजिस्ट्रार आफिस, बलिया (उ0प्र0) मे पंजीकृत, प्लाट/आराजी नं0 73, क्षेत्रफल 0.011 हेक्टेयर या 110.00 वर्ग मीटर, मौजा- सहरासपाली, परगना और तहसील- बलिया, जिला- बलिया (उ0प्र0) मे स्थित श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री चंद्र जीत यादव के नाम पर है। चौहद्दी विलेख के अनुसार: उत्तर- विक्रेता (श्री गौरी शंकर यादव) की जमीन, दक्षिण- 10 फुट चौड़ा खड़ंजा रास्ता, पूर्व- श्रीमती डॉली शर्मा का प्लाट, पश्चिम- श्री केदार नाथ यादव का खेत,	रू0 25,82,732.64 मांग नोटिस दिनांक 17.02.2026 के अनुसार और ब्याज + आकस्मिक ब्याज, लागत अन्य खर्चे	रू0 40,38,000/- आरक्षित धनराशि रू0 4,03,800/- आरक्षित धनराशि रू0 10,000/- आरक्षित बढ़ोत्तरी धनराशि	29.09.2026 दोपहर 12:00 बजे से साम 5:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

अचल सम्पत्ति की विक्रय के लिए 30 दिन की विक्रय सूचना

पंजीकरण/लॉगिन एवं बोली के नियमों के लिए देखें: https://baanknet.com

दिनांक- 28.08.2026 | स्थान- बलिया | प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया